

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, जयपुर

क्रमांक.एफ 11 (48)/अत्या. निवा./सान्याअवि/2016-17/ 36950 जयपुर, दिनांक 09 जून 2016

आदेश


अनुसूचित जाति/जनजाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11(48)/आर एण्ड पी/सान्याअवि/2014/ 55103 दिनांक 20.10.2014 द्वारा निर्देशित किया गया था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की वेबसाईट पर जारी अधिसूचना दिनांक 14.4.2016 में उल्लेखित किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत अत्याचार पीड़ितों को देय राहत राशि में मंत्रालय की संशोधित अधिसूचना दिनांक 14.4.2016 द्वारा संशोधन कर वृद्धि की गई है।

राज्य सरकार द्वारा राहत राशि में की गई वृद्धि के अनुसार राहत राशि स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में जारी विभागीय आदेश दिनांक 20.10.2014 के साथ संलग्न परिशिष्ट-अ को विलोपित किया जाता है एवं नियम-11 से संबंधित प्रावधान पूर्व में जारी आदेशानुसार यथावत रहें तथा आदेशित किया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत आने वाले अत्याचार से पीड़ितों (भारत सरकार से प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम 2016 राजपत्र की प्रति) को संलग्न परिशिष्ट-अ के अनुसार राहत राशि स्वीकृत की जावें। उक्त संशोधन दिनांक 14.4.2016 से लागू होंगे तथा दिनांक 14.4.2016 से पूर्व दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट्स के प्रकरणों में संशोधन पूर्व की दरे ही प्रभावी रहेगी।

सभी जिला कलक्टर्स से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उक्त आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


(डॉ. आर. वैकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव

संयुक्त सचिव
Joint Secretary

Aindri Anurag
Tele: 23383853

467/PS-SJE
13/5/16

D-SJE
13/5/16



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110 115

DD (AP)
M
16.5.16

D.O. No. 11011/24/2016-PCR(Desk)

322/D.SJE/SJE
13.5.16

Immediate

New Delhi, dated: 06-5-2016

Dear Shri Sudarshan Sethi,

In the Action Plan of the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment, conveyed to the Cabinet Secretariat and the NITI Ayog, one of the actionable points relates to e-payment of admissible relief amount to atrocity victims under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act) Rules, 1995, as amended by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act) Amendment Rules, 2016.

2. The significance of e-payment is in expeditious disbursement of relief amount to atrocity victims. Rule 12(4) of the PoA Rules, as amended by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act) Amendment Rules, 2016, also specifies that the District Magistrate etc. is required to make necessary administrative arrangements to provide relief within seven days to the victims of atrocity, their family members and dependents.

3. I would, thus, request you to take necessary action in regard to e-payment of relief amount to victims of atrocity in regard to offences under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 as amended by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015(No. 1 of 2016).

With regards,

Section (AP)

3/nil
18/5/16

Shri Sudarshan Sethi,
Principal Secretary,
Social Justice and Empowerment Department,
Government of Rajasthan,
Secretariat,
Jaipur- 302005.

Yours sincerely,

(Aindri Anurag)


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अप्रैल 14, 2016/चैत्र 25, 1938

No. 268]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 14, 2016/ CHAITRA 25, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 424(ब).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ख) "आश्रित" से पीड़ित के पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन अभिप्रेत हैं जो आलंब और पोषण के लिए ऐसे पीड़ित पर पूर्णतया या मुख्यतया आश्रित हैं;'

3. उक्त नियम के नियम 4 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिकारियों की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हों जैसा वह विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए आवश्यक समझे।

(1अ) राज्य सरकार निदेशक अभियोजन या अभियोजन भारसाधक के परामर्श से लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की ऐसी संख्या का पैनल भी विनिर्दिष्ट करेगी जो वह यथास्थिति विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(1आ) उपनियम (1) और उपनियम (1ख) में निर्दिष्ट दोनों पैनाल राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे।”;

(ख) उपनियम (2) में “विशेष लोक अभियोजक” शब्दों के स्थान पर “विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक” शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उपनियम (3) में “किसी विशेष लोक अभियोजक” शब्दों के स्थान पर “किसी विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक” शब्द रखे जाएंगे।

(घ) नियम 4 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिकारी को,—

(क) इस अधिनियम के अधिनियम रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति ;

(ख) अधिनियम के अध्याय 4 क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का कार्यान्वयन,

का पुनर्विलोकन करेगा और प्रत्येक पश्चात्कर्ती भास की बीसवीं तारीख को या उससे पूर्व अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के संबंध में की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई विनिर्दिष्ट होगी।”;

(ड.) उपनियम (5) में “विशेष न्यायालयों में न्यायालयों का संचालन के लिए” शब्दों के स्थान पर “विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए” शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपनियम (6) के स्थान पर, “विशेष लोक अभियोजक” शब्दों के स्थान पर “विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 7 में,—

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण पूरा करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भारसाधक साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्मिलित है) के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा।

(2क) उप नियम (2) के अनुसार अन्वेषण में या आरोप पत्र फाइल करने में बिलंब यदि कोई हो, अन्वेषणकारी अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट किया जाएगा।”;

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सचिव, गृह विभाग और सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग (विभाग का नाम राज्य दर राज्य परिवर्तित हो सकता है), संबद्ध राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र का अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक अधिकारी और पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए सभी अन्वेषणों की प्रत्येक तिमाही के अंत तक स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।”

5. उक्त नियमों में, नियम 8 के उप नियम (1) में खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(vi) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्य के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में नोडल अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करना;”।

6. उक्त नियम के नियम 9 में, खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(vii) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन।”।

7. उक्त नियम के नियम 10 में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) परिलक्षित क्षेत्रों में अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्यों के अधिकारों का कार्यान्वयन।”।

8. उक्त नियम के नियम 12 में,—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रबंध करेगा तथा अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के उपाबंध 2 के साथ पठित उपाबंध 1 में यथा उपाबंधित पैमाने के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिन के भीतर तकदी या वस्तुरूप या दोनों में अनुतोष प्रदान करेगा और ऐसे तुरंत अनुतोष में भोजन, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित हैं।

(4अ) खजाने से तुरंत धन निकालने के लिए जिससे कि उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुतोष रकम का समय से उपाबंध किया जा सके, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्राधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(4आ) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 15क की उपधारा (6) के खंड (ग) में यथा उपाबंधित किसी अन्वेषण जांच और विचारण के दौरान सामाजिक, आर्थिक और पुनर्वास का आदेश भी कर सकेगा।

(ख) उपनियम (7) में, "विशेष न्यायालय" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां जहां वे आते हैं "विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे।

9. उक्त नियम में नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"14. राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्व — (1) राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए और साथ ही अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों की अधिकारों और हकदारियों के लिए समुचित स्कीम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाबंध करेगी।

(2) राज्य सरकार एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों, उनके द्वारा किए गए अन्वेषण और उठाए गए निवारणक कदमों, पीड़ितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और संबंधित अधिकारियों की ओर से हुई गलतियों से संबंध में रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी।"

10. उक्त नियम के, नियम 15 में,—

(i) उपनियम (i) में,—

(क) "उपाबंधों के कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करेगी", के शब्दों के स्थान पर "उपाबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनाएगी और उसे कार्यान्वित करेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड क के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा 11 में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्कीम;

(iii) उपनियम (2) में, "कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्दों के स्थान पर "सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियम में नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"16. राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन:

(1) राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(i) मुख्यमंत्री या प्रशासक-अध्यक्ष (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा);

- (ii) गृहमंत्री, वित्त मंत्री और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक मंत्री – सदस्य (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होंगे) ;
- (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संसद्, राज्य विधान सभा और विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे;
- (iv) मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य होंगे;
- (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक सचिव।

(2) उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति की बैठक अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीडित व्यक्तियों को प्रदान की गई गृह और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अधिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों जिनके अंतर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्टें भी हैं, का पुनर्विलोकन करने के लिए कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होगी।

12. उक्त नियम के नियम 17 के, उपनियम (1) में, "अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

13. उक्त नियम के, नियम 17 के, उपनियम (1) में "अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमों की, अनुसूची में, उपाबंध 1 के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उपाबंध-1

[नियम 12(4) देखिए]

राहत राशि के लिए मापदंड

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत में पूरा राशि
(1)	(2)	(3)
1.	अबाध या घृणाजनक पदार्थ रखना [(अधिनियम की धारा 3(1)(क)]	पीडित व्यक्ति को एक लाख रुपए। पीडित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जाए:
2.	मल-मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	(i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
3.	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत;
4.	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]	(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
5.	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना [अधिनियम की धारा 3(1)(ङ)]	
6.	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना [अधिनियम की धारा 3(1)(च)]	पीडित व्यक्ति को एक लाख रुपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्च पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीडित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा:
7.	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत इन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना [अधिनियम की धारा 3(1)(च.)]	

		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8.	बेगार या अन्य प्रकार के बलात्कृत या बंधुआ श्रम [अधिनियम की धारा 3(1)(ज)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा
9.	मानव या पशुशर्मा की अंत्येष्टि या ले जाने या चूने को खोदने के लिए विवश करना [अधिनियम की धारा 3(1)(झ.)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)]	(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने [अधिनियम की धारा 3(1)(ट)]	
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
13.	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभिन्नस्त करना या उनमें व्यवधान डालना [अधिनियम की धारा 3(1)(ड)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत;
14.	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण [अधिनियम की धारा 3(1)(ड)]	(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
15.	किसी विशिष्ट अप्रार्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ण)]	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाहियां संस्थित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(त)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17.	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना [अधिनियम की धारा 3(1)(थ)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साक्ष्य अपमान या अपमानित करने के लिए अभिन्नस्त [अधिनियम की धारा 3(1)(द)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ध)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
20.	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से जात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना [अधिनियम की धारा 3(1)(न)]	
21.	शत्रुता, घृणा स वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना [अधिनियम की धारा 3(1)(प)]	
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(फ)]	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविशेषों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ब)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भारतीय दंड संहिता की धारा 326ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फैकना या फैकने का प्रयत्न करना। [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)]	(क) ऐसे पीडित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य हास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रुपए; (ख) ऐसे पीडित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रुपए; (ग) ऐसा पीडित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रुपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीडित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधनानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़ने के लिए दंड [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत;

		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ब(1860 का 45) निर्वहण करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग(1860 का 45) दृश्यरतिकता [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ(1860 का 45) पीछा करना [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ब(1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ग(1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को चार लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की सज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	जल को दूषित या गंदा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा बहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की

		रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की मामूदायिक आस्तियों को मूजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के विन्नी रुद्रिजन्य अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना [अधिनियम की धारा 3(1)(म)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रुपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए की राहत तथा सरकारी खर्च पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36.	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना— (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)]	(अ): क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रुपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)]	(आ): सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]	(इ): अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है,

		निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना ; या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)]	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना ; या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)]	(उ) कोई व्यवसाय करने या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग के उपयोग करने की या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
37.	डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। [अधिनियम की धारा 3(1)(यख)]	पीड़ित को एक लाख रुपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना [अधिनियम की धारा 3(1)(यग)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39.	भिड्या साक्ष्य देना या गड़ना। [अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)]	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;

		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
40.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। [अधिनियम की धारा 3(2)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रुपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है। [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। [अधिनियम की धारा 3(2)(vii)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
43.	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई तारीख 1 जून, 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतर्विशिष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपबंध 2 पर है।	
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
	(ख) जहाँ अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है किंतु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पच्चास हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
	(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;

		(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376घ)	पीडित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्ठी के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
45.	हत्या या मृत्यु	पीडित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और इकैती के पीडितों को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :- (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रुपए की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध ; (ii) पीडित के बालकों की आतंक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा ; (iii) बर्तनों, चाबल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध।
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण वा सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।

[फा. सं. 11012/1/2016-पीसीआर (डेस्क)]

आईन्दी अनुराग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 316(अ) तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 774(अ) तारीख 5 नवंबर, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th April, 2016

G.S.R. 424 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:—

1. (1) These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

(b) "dependent" means the spouse, children, parents, brother and sister of the victim, who are dependent wholly or mainly on such victim for support and maintenance; .
3. In the said rules, in rule 4, —
 - (a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

" (1) The State Government, on the recommendation of the District Magistrate, shall prepare for each District a panel of such number of eminent senior advocates who have been in practice for not less than seven years, as it may deem necessary for conducting cases in the Special Courts and Exclusive Special Courts.

(1A) The State Government in consultation with the Director Prosecution or in charge of the prosecution, shall also specify a panel of such number of Public Prosecutors and Exclusive Special Public Prosecutors, as it may deem necessary for conducting cases in the Special Courts and Exclusive Special Courts, as the case may be.

(1B) Both the panels referred to in sub-rule (1) and sub-rule (1A) shall be notified in the Official Gazette of the State and shall remain in force for a period of three years. " ;

(b) in sub-rule (2), for the words "Special Public Prosecutors", the words "Special Public Prosecutors and Exclusive Special Public Prosecutors" shall be substituted;

(c) in sub-rule (3), for the words "a Special Public Prosecutor", the words "a Special Public Prosecutor or an Exclusive Special Public Prosecutor" shall be substituted;

(d) for sub-rule (4) of rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (4) The District Magistrate and the officer-in-charge of the prosecution at the District level, shall review,—

 - (a) the position of cases registered under the Act ;

- (b) the implementation of the rights of victims and witnesses, specified under the provisions of Chapter IV A of the Act, and submit a monthly report on or before 20th day of each subsequent month to the Director of Prosecution and the State Government, which shall specify the actions taken or proposed to be taken in respect of investigation and prosecution of each case. ";
- (e) in sub-rule (5), for the words "conducting cases in the Special Courts", the words "conducting cases in the Special Courts or Exclusive Special Courts" shall be substituted;
- (f) in sub-rule (6), for the words "Special Public Prosecutor", the words "Special Public Prosecutor and Exclusive Special Public Prosecutor" shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 7, —
- (a) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-
- " (2) The investigating officer so appointed under sub-rule (1) shall complete the investigation on top priority, submit the report to the Superintendent of Police, who in turn shall immediately forward the report to the Director General of Police or Commissioner of Police of the State Government, and the officer in-charge of the concerned police station shall file the charge sheet in the Special Court or the Exclusive Special Court within a period of sixty days (the period is inclusive of investigation and filing of charge-sheet).
- (2A) The delay, if any, in investigation or filing of charge-sheet in accordance with sub-rule (2) shall be explained in writing by the investigating officer. ";
- (b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- " (3) The Secretary, Home Department and the Secretary, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Department (the name of the Department may vary from State to State) of the State Government or Union territory Administration, Director of Prosecution, the officer in charge of Prosecution and the Director General of Police or the Commissioner of Police in-charge of the concerned State or Union territory shall review by the end of every quarter the position of all investigations done by the investigating officer. ".
5. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (1), after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-
- " (via) informing the nodal officer and the concerned District Magistrates about implementation of the rights of victims and witnesses specified under the provisions of Chapter IV A of the Act;".
6. In the said rules, in rule 9, after clause (vi), the following clause shall be inserted namely:-
- " (vii) implementation of the rights of victims and witnesses specified under the provisions of Chapter IVA the Act. ".
7. In the said rules, in rule 10, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-
- " (iv) implementation of the rights of victims and witnesses specified under the provisions of Chapter IVA of the Act, in the identified areas. ".

8. In the said rules, in rule 12, —

(a) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:-

“ (4) The District Magistrate or the Sub- Divisional Magistrate or any other Executive Magistrate shall make necessary administrative and other arrangements and provide relief in cash or in kind or both within seven days to the victims of atrocity, their family members and dependents according to the scale as provided in Annexure-I read with Annexure-II of the Schedule annexed to these rules and such immediate relief shall also include food, water, clothing, shelter, medical aid, transport facilities and other essential items.

(4A) For immediate withdrawal of money from the treasury so as to timely provide the relief amount as specified in sub-rule (4), the concerned State Government or Union territory Administration may provide necessary authorisation and powers to the District Magistrate.

(4B) The Special Court or the Exclusive Special Court may also order socio-economic rehabilitation during investigation, inquiry and trial, as provided in clause (c) of sub-section 6 of section 15A of the Act. ”;

(b) in sub-rule (7), for the words “ Special Court” at both the places where they occur, the words “Special Court or Exclusive Special Court” shall respectively be substituted.

9. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

“ 14. **SPECIFIC RESPONSIBILITY OF STATE GOVERNMENT.**—(1) The State Government shall make necessary provisions in its annual budget for providing relief and rehabilitation facilities to the victims of atrocity, as well as for implementing an appropriate scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice as specified in sub-section (11) of section 15A of Chapter IV A of the Act.

(2) The State Government shall review at least twice in a calendar year, in the month of January and July the performance of the Special Public Prosecutor and Exclusive Special Public Prosecutor specified or appointed under section 15 of the Act, various reports received, investigation made and preventive steps taken by the District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate and Superintendent of Police, relief and rehabilitation facilities provided to the victims and the reports in respect of lapses on behalf of the concerned officers. ”.

10. In the said rules, in rule 15, —

(i) in sub-rule (1),—

(A) for the words “shall prepare a model contingency plan for implementing”, the words “shall frame and implement a plan to effectively implement” shall be substituted;

(B) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

“ (aa) an appropriate scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice, as specified in sub-section (11) of section 15 A of Chapter IV A of the Act;